न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

अपील सं0 14 / 2020

1. मदनलाल पुत्र श्री डालूराम जाति जाट साकिन कागासर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

– अपीलांटस

बनाम्

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उप तहसीलदार (राजस्व) पल्लू तहसील रावतसर।
2. मौजीराम पुत्र श्री हरचन्द जाति जाट साकिन धणियासर तहसील रावतसर।

– रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ आदेश दिनांक 24.07.2012 जिसकी रूह से नामान्तरण संख्या 1209 दर्ज व तस्दीक किया गया को अपास्त करवाने बाबत।

उपस्थितिः– श्री विजयसिंह कड़वासरा, अधिवक्ता अपीलांट

राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

निर्णय

दिनांक : 12.10.2021

संक्षेप में अपील अपीलांट की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

अपीलांट प्रार्थी व रेस्पोडेंट न0 2 ने वाके रोही मौज पूरबसर के खसरा नम्बर 1055 की 1.520 हैक्टयर बारानी खातेदारी भूमि सुगनी देवी पत्नी सहीराम जाति जाट साकिन सारसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू दिनांक 21.02.2012 से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा है तथा उक्त खरीदशुदा भूमि में से अपीलांट ने 1.265 हैक्टयर व रेस्पोडेंट नम्बर में 0.253 हैक्टयर भूमि खरीद की थी तथा खरीद समय से अपने अपने खरीदशुदा भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा नियमानुसार अपीलांट अपनी खरीदशुदा भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका था व रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 21.02.2012 के आधार पर मातहत अदालत ने बैयनामा में अपीलांट की खरीदशुदा भूमि खसरा 1055 की 1.520 हैक्टयर में से 1.265 हैक्टयर व रेस्पोडेंट न0 2 की 0.253 हैक्टयर वाके रोही मौजा पूरबसर का नामान्तरण दर्ज करने की बजाय बिना किसी आधार के अपीलांट व रेस्पोडेंट न0 2 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया जबकि मातहत अदालत को बैयनामा दिनांक 21.02.2012 के अनुसार पूरी जांच कर अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 2 की खरीदशुदा भूमि के अनुसार नामान्तरण दर्ज करना चाहिए तथा साथ ही अपीलांट का गांव कागासर जो बैयनामा व अन्य दस्तावेज में सही दर्ज है मगर नामान्तरण के आधार पर हाल राजस्व रिकार्ड में बांगासर दर्ज कर दिया है जिससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होती है तथा उसके खातेदारी हकूक का हनन होता है जिससे अपीलांट नामान्तरण संख्या 1209 दिनांक 24.07.2012 को अपास्त करवाने बाबत यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत कर रहा है–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Web Copy - Not Official

1. आदेश दिनांक 24.07.2012 उसके आधार पर दर्ज व तस्दीक नामान्तरण नम्बर 1209 बअदालत मातहत बखिलाफ कानून, नियम व वाक्यात व रूएदाद मिसल व नियम विरूद्ध है तथा विधि की भंयकर अवहेलना में पारित किया गया है।
2. मातहत अदालत ने अपीलांटर द्वारा प्रस्तुत बैयनामा दिनांक 21.02.2012 का अवलोकन ना करते हुए कतई मनमाना, स्वैच्छाचारी व नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो काबिल मन्सूखी है।
3. मातहत अदालत ने इन्तकाल न0 1209 दिनांक 24.07.2012 दर्ज व तस्दीक करते समय कोई जांच नही की है तथा बैयनामा जैसे रजिस्टर्ड दस्तावेज में दर्ज खरीदशुदा हिस्सा पर कोई ध्यान ना देते हुए कतई दस्तावेज में दर्ज खरीदशुदा हिस्सा पर कोई ध्यान ना देते हुए कतई कानून के खिलाफ जाते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सन 1956 के प्रावधानों की पालना ना करते हुए नामन्तरण संख्या 1209 दिनांक 24.07.2012 को दर्ज व तस्दीक किया जो काबिल निरास्तनीय है।
4. मातहत अदालत द्वारा नामान्तरण दिनांक 24.07.2012 दर्ज व तस्दीक करने की कार्यवाही निर्णय व आदेश की परिभाषा में नही आती है जो काबिल इखराजी है।

लिहाजा यह अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत द्वारा मामान्तरकण संख्या 1209 दिनांक 24.07.2012 को दर्ज व तस्दीक किया को अपास्त किया जाकर बैयनामा दिनांक 1.02.2012 के आधार पर नामान्तरण दर्ज व तस्दीक करने व अपीलांट का गांव बैयनामा अनुसार बांगासर की बजाय कागासर दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया किया कि नामान्तरकरण संख्या 1209 को निरस्त कर अपीलांट व रेस्पोडेंट न0 2 मौजीराम के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.02.2012 को ग्राम पूरबसर के खसरा न0 1055 की खरीदशुदा भूमि कमशः 1.265 हैक्टयर एवं 0.253 हैक्टयर का नामान्तरकरण विकय पत्र के अनुसार सही रूप से दर्ज किया जाएं।

बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट मदनलाल पुत्र श्री डालूराम जाति जाट साकिन कागासर तहसील लुणकरणसर व मौजीराम पुत्र श्री हरचन्द जाति जाट निवासी धणियासर तहसील रावतसर ने विकेता सुगनीदेव पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी सारसर तहसील सरदारशहर से दिनांक 21.02.2012 को ग्राम पूरबसर के खाता संख्या 11/7 के खसरा न0 1055 रकबा 1.520 हैक्टयर बारानी में से कमशः मदनलाल ने 1.265 हैक्टयर व मौजीराम ने 0.253 हैक्टयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय की थी। जिसका नामन्तरण संख्या 1209 ग्राम पूरबसर गलत रूप से बहिस्सा बराबर दर्ज होकर दिनांक 24.07.2012 को स्वीकृत हुआ उसी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अनुसार जमाबंदी में अंकन चला आ रहा है। जबकि नियमानुसार केतागण के नाम रजिस्टर्ड विकय पत्र के अनुसार हिस्सा दर्ज होना चाहिए था।

अतः अपील अपीलांट, स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1209 दिनांक 24.07.2012 को निरस्त किया जाता है। उपतहसीलदार पल्लु को निर्देश दिया जाता है कि अगर उक्त भूमि के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश आदि ना हो तो रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 21.02.2012 के अनुसार केतागण के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों। निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 12.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/10/2021

(भागीरथ शाख आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)